**संख्या-30/2021/142/41-2021-102(बजट)/2020**

प्रेषक,

एन0जी0 रवि कुमार
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
पर्यटन, उ0प्र0
लखनऊ।

**पर्यटन अनुभाग** **लखनऊ, दिनांक, 13 जनवरी 2021**

विषय-जनपद हरिद्वार, उत्तराखण्ड के होटल अलकनन्दा परिसर में 100 कक्षों के नवीन पर्यटक आवास गृह (होटल) के निर्माण की परियोजना में फर्नीचर क्रय किये जाने के संबंध में।

---

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश सं0-13/2021/4826/41-2020-102(बजट)/2020 दिनांक 6-1-2021 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें जिसके माध्यम से वित्तीय वर्ष 2020-21 में राज्य योजना के अन्तर्गत **जनपद हरिद्वार, उत्तराखण्ड के होटल अलकनन्दा परिसर में 100 कक्षों के निर्माणाधीन नवीन पर्यटक आवास गृह (होटल) के निर्माण की परियोजना में फर्नीचर -किचन माड्युलर फर्नीचर (किचेन सेट) ,रेस्टोरेण्ट फर्नीचर ,बैंक्वेट हॉल-फर्नीचर, सभी कक्षों एवं सूट के फर्नीचर / फर्निशिंग इत्यदि को क्रय किये जाने हेतु** कार्यदायी संस्था उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0 द्वारा गठित संदर्भगत आगणन में अंकित लागत रू0-7.61 करोड+ **18 प्रतिशत जी0एस0टी0-रू0 1.36 करोड अर्थात् कुल रूपये 8.96 करोड (रूपये आठ करोड छियानवे लाख मात्र)** की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गई है।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेश दि0-6-1-2021 द्वारा प्रदान की गई स्वीकृति के क्रम में अंकित शर्तों /प्रतिबन्धों के अधीन उ0प्र0 राज्य पर्यटन विकास निगम लि0, लखनऊ द्वारा निम्नवत् गठित क्रय समिति के माध्यम से सामग्री क्रय की जायेगी:-

| | |
|---|---|
| प्रमुख सचिव पर्यटन विभाग उ0प्र0 शासन। | अध्यक्ष |
| प्रबंध निदेशक उ0प्र0 राज्य पर्यटन विकास निगम लि0, लखनऊ | सदस्य सचिव |
| महाप्रबंधक (नोडल-पर्यटन) उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0 लखनऊ | सदस्य |
| मैनेजर वर्क्स उ0प्र0 राज्य पर्यटन विकास निगम लि0, लखनऊ | सदस्य |

भवदीय,

(एन0जी0 रवि कुमार)
सचिव।

**संख्या-30/2021/142(1)/41-2021-102(बजट)/2020 तद्दिनॉक:-**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

2- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3- प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0।
4- जिलाधिकारी, हरिद्वार, उत्तराखण्ड।
5- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य पर्यटन विकास निगम लि0, लखनऊ।
6- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
7- वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
8- संयुक्त निदेशक, पर्यटन निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ
9- प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लि0, लखनऊ।
10- अपर परियोजना प्रबन्धक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0, इकाई-2-देहरादून।
11- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7।
12- क्षेत्रीय पर्यटक अधिकारी, मेरठ।
13- वेब अधिकारी, पर्यटन विभाग।
14- गार्ड-फाइल।

आज्ञा से,

(गिरिजापति द्विवेदी)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।